सरल कानूनी ज्ञान माला - 14

झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि

1. चिंगारी को आग का भीषण रूप धारण करने से रोकान

एक चिनगारी भीषण आग का रूप धारण कर सकती है। यदि उस चिगारी को तुरन्त बुझा दिया जाय तो आग स्वय: ही समाप्त हो जाती है। किभी भी आग लगने से पहले धुआं उठना इस बात को सचेत करता है कि आग को बढ़ने से रोका जाय और धुएं को तुरन्त काबू पाया जा सकता है, परन्तु जब धुआं आग का रूप धारण कर लेती है उसके गम्भीर परिणाम होने स्वाभाविक ही हैं। इसी तरह यदि झगड़ा बढ़ते से तुरन्त रोक दिया जाय तो गम्भीर अपराधों को रोका जा सकता है। इस झगड़े की शुरूआत को रोकने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की भिन्न-भिन्न धाराओं द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। जब कोई व्यक्ति परिशांति भंग करता है या लोक परिशांति विक्षुब्ध करता है तो ऐसे व्यक्ति को सदाचार बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की भिन्न-भिन्न धाराओं द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। जब कोई व्यक्ति परिशांति भंग करता है या लोक परिशांति विक्षुब्ध करता है तो ऐसे व्यक्ति को सदाचार बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/117 के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सम्मुख कार्यवाही करके उसे शांति कायम करने हेतु एवं सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियों सहित वचनबद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपराध करने के लिए अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानियां बरत रहा हो ऐसे व्यक्तियों से सदाचार रखने के लिए प्रतिभूतियों सहित बन्धपत्र निष्पादित करने की कार्यवाही धारा 109 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा दस नम्बरी व्यक्तियों अर्थात अभ्यासता, लुटेरा, चोर, कटुरचिता या जो अपराध ा अभ्यासता करता हो तो ऐसे व्यक्ति को भी अपराध की प्रवृत्ति से रोकने के लिए सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियों सहित बन्धपत्र निष्पादित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 कि अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। जो व्यक्ति लोक स्थान या किसी मार्ग में बांधा एवं लोक न्यूसेन्स कहते हैं उसे हटाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 एवं ध ाारा 144 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई जिससे कि झगड़े शुरू होने से पहले से झगड़े बढ़ने से रोके जा सके और न्यूसेंस को तुरन्त हटाने की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार प्राय: जमीन जायदाद के कब्जे को लेकर जो झगड़े शुरू होते हैं यदि उनका तुरंत निवारण न किया जाय तो वे हत्या आगजनी इत्यादि का उग्र रूर धारण कर सकते हैं। ऐसी भूमि एवं अचल सम्पत्ति के विवादों से परिशांति भंग होने की सम्भावनाओं पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा भूमि या जल से सम्बन्धित विवादों की परिशांति का निवारण किया जाता है। इस प्रकार झगड़ों को रोकने के उद्देश्यों से दण्ड प्रक्रिया संहिता की मुख्य धारायें 107/117, 133, 144 एवं 145 के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रार्थना पत्र देकर इन झगड़ों को बढ़ने से तुरन्त रोके जाने की व्यवस्था की गई है।

2. शांति भंग करने वाले व्यक्ति को शांति कायम रखने हेतु जमानत देने सम्बन्धी धारा 107/117 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही :-

इस संबंध में धारा 107 के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गई है वह इस प्रकार है :-

107- अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति-

1. जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिलती है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंय करेगा या लोक परिशांति विक्षुब्ध करेया या कोई ऐसा संदोश कार्य करेगा जिससे सम्भाव्यत: परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति विक्षुब्ध ा हो जायेगी तब यदि उसकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात् उपबन्धि ात रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करें कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए उपबन्ध (प्रतिभूति सहित या रहित) निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए।

2. इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर है या ऐसी अधिकारिता के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे सम्भाव्यत: परिशांति भंग करेगा या लोग परिशांति विक्षुब्ध करेगा या पूर्वोक्त कोई संदोष कार्य करेगा।

यदि कोई व्यक्ति झगड़ालू है और इस बात की आशंका है कि वह अपने झगड़ालू व्यवहार के कारण औरों की नींद हराम करता है, शांति को भंग करता है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति अच्छे व्यवहार रखने के लिए उसको बन्धपत्र एवं जमानतियों के बन्धनाये भरवाकर एक वर्ष की अवधि तक अपने व्यवहार की ठीक रखकर शांति भंग न करने के लिए पाबन्द किया जा सकता है।

(क) धारा 107 का प्रार्थना पत्र एस.डी.एम. के न्यायालय में दिया जाता है :-

इस ऐसे शांति भंग करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत एस.डी.एम. के सम्मुख एक प्रार्थना पत्र इस बात का देना होता है कि अमुख व्यक्ति अपने व्यवहार से लोग शांति भंग कर रहा है जिस पर एस.डी.एम. ऐसे झगड़ालू व्यक्ति को एक नोटिस कारण दर्शित करने का भेजते हुए उसमें उन सभी तथ्यों का संक्षिप्त उल्लेख करेगा जो कि उस झगड़ालू व्यक्ति के विरूद्ध शांति भंग करने सम्बन्धित हैं और उस व्यक्ति को यह निर्देश करेगा कि वह क्यों न उससे निर्धारित अवधि के लिए शांति कायम रखने के लिए निश्चित धनराशि की जमानत भरने के लिए कहा जाये।

(ख) न्यायालय कार्यवाही शुरू करने हेतु धारा 111 के नोटिस की तामील कराती है :-

इस प्रकार जो प्रार्थना पत्र धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए एस.डी.एम. के यहां प्राप्त होता है तो उस पर कार्यवाही करते हुए उस व्यक्ति के विरूद्ध धारा 111 के कारण पेश करते हुए नोटिस जारी किया जाता है जिसमें शांति कायम रखने के लिए जमानतियों की संख्या और जमानत की धनराशि दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है जो कि ऐसे व्यक्ति पर तामील कराने हेतु भेजा जाता है। यदि वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो तो उसे नोटिस को उसे पढ़कर समझाया जाता है अन्यथा उसके न्यायालय में हाजिर न होने पर उस पर तामील करने हेतु भेजा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए ऐसे नोटिस की तामील करने के साथ-साथ उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पेश करने का भी निर्देश दिया जा सकता है। यह उन्हीं परिस्थितियों में किया जाता है परन्तु जब इस बात का अन्देशा हो कि वह व्यक्ति लोक शांति को भंग कर सकता है इसलिए उसे तुरन्त गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता है।

(ग) धारा 111 के कारण पेश नोटिस को सम्मन या वारण्ट के माध्य से तामील किया जा सकता है।

इस प्रकार जो धारा 111 के अन्तर्गत शांति भंग करने वाले व्यक्ति को कारण पेश करने हेतु नोटिस भेजा जाता है उसकी यदि ऐसे व्यक्ति के ऊपर तामील करानी हो तो सम्मन के साथ उस कारण पेश करने के सम्बन्धी नोटिस को भेजा जाता है और यदि ऐसे कारण पेश करने वाले नोटिस जा कि धारा 111 के अन्तर्गत तैयार किया जाता है उसको ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके प्रस्तुत करना होता है तो उस नोटिस के साथ गिरफ्तार वारण्ट भेजना जरूरी है ताकि उसे गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो सके कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इस प्रकार 107 की धारा की कार्यवाही जब प्रारम्भ होती है तो न्यायालय उस 107 धारा के प्रार्थना पत्र में दिये गए शांति भंग करने सम्बन्धी आरोपों से सन्तुष्ट होने पर उस शांति भंग करने वाले व्यक्ति को धारा 111 के अन्तर्गत कारण पेश करने हेतु नोटिस की तामीली सम्पन या वारण्ट द्वारा धारा 114 के अन्तर्गत करवाती है और तब इसकी जांच प्रारम्भ हो जाती है। जिसकी प्रक्रिया धारा 116 में दी गई है।

(घ) धारा 107 की कार्यवाही की जांच धारा 116 की प्रक्रिया अनुसार की जाती है :-

धारा 116 के अन्तर्गत धारा 107 की शांति भंग करने सम्बन्धी कार्यवाही की जांच एस.डी.एम. न्यायालय में प्रारम्भ करते हुए साक्ष्य लेखबद्ध किया जाता है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि छः माह के अन्दर ही यह कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये क्योंकि यदि छः माह में यह जांच पूर्ण नहीं होती तो उस अवधि के बीच जाने पर यह आगे नहीं चल सकता है और स्वतः समाप्त हो जाती है।

(ड़) जांच पूर्ण होने पर धारा 117 के अन्तर्गत जमानतनामें दाखिल करने होते हैं :-

जब जांच पूर्ण हो जाती है और इस बात की राय बनती है कि वह व्यक्ति शांति भंग कर सकता है तो उस व्यक्ति को शांति कायम रखने के लिए धारा 117 के अन्तर्गत आदेश देते हुए बन्धपत्र एवं जमानतियों के साथ एक वर्ष की अवधि तथ शांति बनाए रखने एवं लोक शांति को भंग करने हेतु निर्देशित किया जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति शांति भंग करता है तो उसकी

जमानतें रद्द करते हुए उन जमानतों पर उल्लिखित धनराशि की वसूली की जा सकती है। यदि ऐसे बन्धनामें एवं जमानतें देने सम्बन्धी व्यक्ति द्वारा जमानतें दाखिल नहीं की जाती है तो उस व्यक्ति को जेल में बन्द रखा जा सकता है।

(च) धारा 107/117 की कार्यवाही का उदाहरण :-

यदि किसी शहर के मोहल्ले में कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की शांति भंग करता है और समझाने पर भी नहीं मानता तो उस व्यक्ति के विरूद्ध लोक शांति कायम रखने हेतु एक प्रार्थना पत्र एम.डी.एम. के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 में दिया जाता है जिसमें शांति भंग करने सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। इस प्रार्थना पत्र को एस.डी.एम. इस बात से सन्तुष्ट है कि कि व्यक्ति झगड़ालू है और शांति भंग करने का अन्देशा है तो एस.डी.एम. धारा 107 की कार्यवाही शुरू करते हुए उस शांति भंग करने वाले व्यक्ति को धारा 111 का कारण पेश करने हेतु नोटिस भेजता है और उस नोटिस की तामली सम्मन या उसको गिरफ्तार करना शांति कायम करने के हित में है तो गिरफ्तार करने सम्बन्धी वारण्ट तैयार करके भेजा जाता है ताकि पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के सम्मुख उपस्थित कर सके। वैसे तो प्राय: 107 की कार्यवाही में जो धारा 111 के अन्तर्गत नोटिस भेजा जाता है उसकी तामील सम्पन द्वारा कराई जाती है और उसे गिरफ्तार करने के लिए वारण्ट जारी नहीं किया जाता है तत्पश्चात् धारा 116 के अन्तर्गत यहा कार्यवाही शुरू होती है।

इस कार्यवाही के पूर्ण होने पर यदि शांति भंग का अन्देशा सिद्ध होता है तो धारा 117 के अन्तर्गत निश्चित अवधि के लिए शांति कायम रखने हेतु बन्धपत्र के साथ जमानत ली जाती है। ताकि यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उस निश्चित अवधि के अन्दर शांति, भंग की जाये तो उसके जमानत नामे रद्द करते हुए उतनी धनराशि को जब्त किया जा सके।

यह जरूरी नहीं कि धारा 116 जांच पूरी होने के बाद ही शांति कायम करने हेतु जमानतें बन्धकों के साथ दी जायें बल्कि जांच की सुनवाई के दौरान या शांति कायम रखने संबंधी जमानत देने के लिए अन्तरिम निर्देश दिया जा सकता है।

3. दस नम्बरी या चोरी की शंका वाले लोगों को अच्छा व्यवहार रखने के लिये जमानत देकर पाबन्द करना ताकि वह अपराध न कर पायें :-

जो लोग चोरी की शंका वाले होते हैं जिनके बारे में विश्वास नहीं कि वह कभी भी चारी या अन्य अपराध कर सकते हैं ऐसे चोरी की शंका वाले लोगों को अच्छा आचरण रखने के लिए पाबन्द करने की व्यवस्था धारा 109 में एवं धारा 110 में दस नम्बरी बदमाशों की व्याख्या की गई है जिसमें ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है जिस पर एस.डी.एम. से कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए इन चोरी करने की आशंका रखने या दस नम्बरी व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 107 की कार्यवाही की तरह धारा 111 का कारण पेश करने सम्बन्धी नोटिस को तामील करते हुए पुलिस द्वारा जो साक्ष्य पेश किया जाता है उसकी जांच द.प्र. संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत पूर्ण करते हुए यदि शिकायत में सार होता है तो उस व्यक्ति को अच्छे आचरण निर्धारित अवधि तक रखने के लिए जमानतियों सहित बन्धनामें देकर बंधित किया जाता है। इस प्रकार सभी चोर उच्चकों एवं दस नम्बरियों को अच्छा आचरण रखने हेतु बन्धकों एवं जमानतियों से पाबन्द करने की व्यवस्था धारा 109 एवं 110 के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों पर जो कि प्राय: पुलिस द्वारा दिये जाते हैं उनकी जांच प्रक्रिया धारा 116 में पूर्ण करके धारा 117 में अन्तिम आदेश जमानत दाखिल करने हेतु पारित किया जाता है।

4. पब्लिक रास्ते की रूकावट करना पब्लिक स्वास्य को खतरे में डालना एवं अन्य किसी लोक न्यूसेंस का निवारण संबंधी व्यवस्था :-

यदि किसी व्यक्ति द्वारा पब्लिक रास्ते की रूकावट करने, पब्लिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने संबंधी कार्य या अन्य कोई लोक न्यूसेंस पैदा की जाती है तो उसके तुरन्त निवारण हेतु धारा 133 में व्यवस्था की गई है। यह धारा 133 इस प्रकार है :-

133- न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश - (1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसे वह ठीक समझे या विचार है कि :-

क- किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसारणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जा सकती है, कोई

विधि विरूद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए, अथवा

ख- किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या किसी माल का पण्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य या शारीरिक सुख के लिए हानिकर है और परिणामत: ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए या ऐसी माल या पण्य वस्तु हटा दी जानी चाहिए या उसको रखना विनियमित किया जाना चाहिए अथवा

ग- किसी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का व्ययन, जिससे सम्भाव्य है कि अग्निकाण्ड या विस्फोट हो जाए, रोक दिया जाना या बंद कर दिया जाना चाहिए अथवा

घ- कोई भवन, तम्बू, संरचना या कोई वृक्ष ऐसी दशा में है कि सम्भावय है कि वह गिर जाए और पड़ोस में रहने या कारबार करने वाले पास से निकलें वाले व्यक्तियों को उससे हानि हो, और परिणामत: ऐसे भवन, तम्बू या संरचना को हटाने, या उसकी मरम्मत करना या उसमें आलम्ब लगाना या ऐसे वृक्ष को हटाना या उसमें आलम्ब लगाना आवश्यक है अथवा

ड़- ऐसे किसी मार्ग या लोग स्थान के पार्श्वस्थ किसी तालाब, कुआं या उत्खान को इस प्रकार से बाड़ लगा देना चाहिए कि जनता को होने वाले खतरे का निवारण हो सके। अथवा

च- किसी भयानक जीवजन्तु को नष्ट, परिरूद्ध या उसका अन्यथा व्यय न किया जाना चाहिए।

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेन्स पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे उपजीविका चलाने वाले या किसी माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे जीव-जन्तु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अन्दर जितना उस आदेश में नियत किया जाएगा वह-

(2) ऐसे व्यापार या उपजीविका चलाना छोड़ दें या उसे ऐसी रीति से बंद कर दें या विनियमित करें,

जैसी निर्दिष्ट की जाए अथवा ऐसे माल या पण्य वस्तु को हटाए या उसको खना ऐसी रीति से विनियमित करें जैसी निर्दिष्ट की जाए, अथवा

(3) ऐसे भवन का निर्माण रोकें या बंद करें, या ऐसे पदार्थ के व्यसन में परिवर्तन करें, अथवा

(4) ऐसे तालाब,कुएं या उत्खान को बाड़ लगाए अथवा

(5) ऐसे भयानक जीवजन्तु को उस रीति से नष्ट करें, परिरूद्ध करें या उसका व्ययन करें, जो उस आदेश में उपबंधित है।

अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्य किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष, उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा हाजिर हो और उसमें इसके पश्चात उपबन्धित प्रकार से कारण दर्शित करें कि उस आदेश को अन्तिम क्यों न कर दिया जाए।

2. मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन मस्यक रूप से दिए गए किसी भी आदेश की किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :- ''लोक स्थान'' के अन्तर्गत राज्य की सम्पत्ति, पडाव के मैदान और स्वच्छता या आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिए खाली छोड़े गए मैदान भी है।

जब कोई व्यक्ति पब्लिक रास्ते में रूकावट पैदा करता है या पब्लिक के स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है या बीमारी का खतरा पैदा होता है या अन्य कोई पब्लिक न्यूसेंस पैदा की जाती है तो उसके निवारण के लिए एस.डी.एम. के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में प्रार्थना पत्र दिया जाता है जिसमें उस पब्लिक न्यूसेंस का उल्लेख किया जाता है। जिसका निवारण करना होता है ताकि न्यायालय उस रूकावट को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकें। इस 133 की प्रार्थना पत्र पर न्यायालय संबंधित व्यक्ति को ऐसे रूकावट को हटाने का निर्देश करती है। यदि वह रूकावट हटा देता है तो ठीक है अन्यथा उस व्यक्ति को कारण पेश करने हेतु न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश देती है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को या तो पब्लिक रास्ते की रूकावट को हटा देनी होती है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे न्यायालय में उपस्थित होकर बताना होता है कि वह उस पब्लिक रास्ते को क्यों नहीं हटाता। यदि दोनों में से कोई भी कृत नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध

न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर उसके विरूद्ध भा.द. विधान की धारा 188 के अन्तर्गत अपराध के लिए मुकदमा किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति पब्लिक रास्ते की रूकावट को न हटाते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर ऐसे पब्लिक रास्ते के होने से इन्कार करता है तो न्यायालय उसकी जांच धारा 137 के अन्तर्गत इस बात की करती है कि वास्तवम में जहां रूकावट की गई है वह पब्लिक रास्ता है कि नहीं।

इसमें न्यायालय पक्षकारों का साक्ष्य लेकर यह निर्देश देती है कि वह वास्तव में पब्लिक रास्ता है और रूकावट पाये जाने पर उसे हटाने हेतु धारा 138 के अन्तर्गत आदेश पारित करती है।

इस प्रकार यह जांच पूरी करने पर कि वह स्थान जहां रूकावट की गई थी, वह पब्लिक रास्ता है या अन्य पब्लिक न्यूसेंस था, तो वह उस रूकावट करने वाले व्यक्ति को निर्धारित समय के अन्दर रूकावट हटाने का निदेश करती है। यदि उस रूकावट को नहीं हटाया जाता है तो न्यायालय अपने स्तर से उस रूकावट को हटाते हुए ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डित करने के लिए भी कार्यवाही करती है।

लोक रास्ते की रूकावट को हटाने सम्बन्धी उदाहरण :-

यदि गांव के रास्ते में किसी व्यक्ति ने कोई दीवार बनाकर रूकावट पैदा कर दी है तो उस रूकावट को हटाने के लिए संबंधित एस.डी.एम. के सम्मुख धारा 133 की प्रार्थना पत्र दी जाती है जिसमें मजिस्ट्रेट निर्देश देता है कि यदि उस व्यक्ति द्वारा उसे हटाया नहीं जाता तो कारण पेश करने हेतु न्यायालय में उपस्थित होना होता है ताकि इस पब्लिक रास्ते की जांच करने के बाद ही उसकी रूकावट को हटाने के बारे में आदेश पारित किया जा सके। यह पब्लिक रास्ते की जांच धारा 137 में की जाती है। जिसमें पक्षकारों का साक्ष्य लेने के बाद धारा 138 में अन्तिम आदेश पारित किया जाता है। पब्लिक रास्ते की रूकावट के अतिरिक्त गन्दे पानी की निकासी करना या बाहर गन्दगी फैलाई गई या अन्य लोक न्यूसेंस के मामले में हो सकते हैं। उन सब में रूकावट को हटाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में प्रार्थना पत्र देकर उनका निवारण किया जा सकता है।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत तुरन्त रूकावट हटाकर राहत देने सम्बन्धी व्यवस्था :-

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आशंकित खतरे की न्यूसेंस को तुरन्त हटाकर राहत देने की व्यवस्था की गई है। धारा 144 द.स. निम्नवत हैं :-

''144 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामलों में आदेश जारी करे की शक्ति

(1) उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा निमित्त विशेषतया सशक्त किये गऐ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरन्त निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 134 द्वारा उपबन्धित रीति से कराई जायेगी किसी विशिष्ट सम्पत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा क्षोभ या क्षति का, या मानव जीवन, स्वास्थ्य का क्षेम का खतरे का, या लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का या बलवे या दंगे का निवारण हो जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशा में या उन दशाओं में जब परिस्थितयां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरूद्ध वह आदेश निर्दिष्ट है, सूचना की तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश न हो, एकपक्षीय रूप से पारित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अथवा आम जनता को, जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश के दिए जाने की तारीख से दो मास से आगे प्रवृत्त न रहेगा।

परन्तु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण रोकने के लिए अथवा बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है।

तो वह अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त रहेगा किन्तु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से छः मास के अधिक की न होगी जिसकी मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश के ऐसे निर्देश अभाव में समाप्त हो गया होता।

(5) कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्ररेणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किया मजिस्ट्रेट न या उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है।

(6) राज्य सरकार उपधारा-5 या उपधारा-6 क अधीन आवेदन प्राप्त होता है वह यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने पर आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने की शीघ्र अवसर देगी और यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशत नामंजूर कर दें तो वह ऐसा करने में अपने कारणों को लेखाबद्ध करेगी।

जहां मजिस्ट्रेट को इस बात की शंका हो कि किसी कृत से लोक अशांति या दंगा या मनुष्यों का जीवन खतरे में पड़ सकता है तो उसके लिए तुरन्त निवारण करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि उसके लिए नोटिस देकर जानकारी की जांच व सुने बिना ही आदेश किसी व्यक्ति समूह और आम जनता के संबंध ा में किये जा सकते हैं परन्तु धारा 144 के अन्तर्गत पारित आदेश की अवधि दो माह से अधिक से नहीं रह सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी आदेश धारा 144 के अधीन पारित किया जाता है।

वह केवल 2 माह से अधिक अवधि तक जीवित नहीं रह सकता परन्तु उस दो माह के अधिक की अवधि को समस्त की गम्भीरता को देखते हुए छः माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

6. अचल सम्पत्ति पर झगड़ा होने से शांति भंग होने के निवारण हेतु धारा 145 के अन्तर्गत कार्यवाही करनाः-

धारा 145 द.प्रत्र संहिता का अर्थ निम्नवत हैः-

''145 जहां भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया- (1) जब कभी किसी कार्य पालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर मसाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधि ाकारिता के अन्दर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से सम्बद्ध ऐसा विवाद वर्तमान है, जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से सम्बद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उनके न्यायाल में हाजिर हो और विवाह की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने-अपने दावों का लिखित कथन पेश करें।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''भूमि या जल'' पद के अन्तर्गत भवन, बाजार, मीन, क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी सम्पत्ति के भाटक या लाभ भी है।

(3) इस आदेश की एक प्रति की तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए उपबन्धित रीति से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करें, और कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु पर या उसके निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी।

(4) मजिस्ट्रेट तब विवाह की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे की प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा तभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो, लेगा जैसा वह आवश्यक समझे और यदि सम्भव हो तो यह विनिश्चित करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाह की विषय वस्तु पर कब्जा रखना था और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था।

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व दो माह के अन्दर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को पूर्व वलात् और सदोश रूप से कब्जा किया गया है तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा (1) के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था।

(5) इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्यवाहियां रोक दी जाएगी किन्तु आधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्द कारण के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

(6) **क**- यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय वस्तु पर ऐसा कब्जा था या उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए तो वह यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखली न कर दिया जाए और निषेध करने वाला जब तक ऐसी बेदखली न कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए, आदेश जारी करेगा जब वह उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन कार्यवाही करता है तब उस पक्षकार को जो बलात और सदोश बेकब्जा किया गया है, कब्जा लौटा सकता है।

ख- इस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा (3) में अभिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा।

(7) जब किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को कार्यवाही का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत्यु पक्षकार का ऐसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्यवाही का पक्षकार बना लिया जाएगा।

(8) यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस सम्पति की, जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में विवाद की विषयवस्तु है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृत्याक्षयशील है तो वह ऐसी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और जांच के समाप्त होने पर ऐसी सम्पत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के व्ययन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे।

(9) यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम सम्मन या निर्देशा देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या किसी दस्तावेज या चीज पेश करें।

(10) इस धारा की कोई बात धारा 107 के अधीन कार्यवाही करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली नहीं समझी जाएगी।

जब कोई व्यक्ति किसी अचल सम्पत्ति के कब्जे को हटाने का प्रयास करता है तो इस प्रकार अशांति फैलाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अशान्ति को रोकने और कब्जे में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने से बाज आने के लिए सम.डी.एम. के यहां द.प्र.सं. की धारा 145 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की जा सकती है इसकी सूचना मिलने पर सम्बन्धित एस.डी.एम. इस बात से सन्तुष्ट होने के लिए कि क्या ऐसे झगड़े की सम्भावना है उसके लिए सम्बन्धित थाने से इसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को भी मौके पर जांच करने रिपोर्ट देने के लिए कह सकता है। उसके विरूद्ध धारा 145 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिया जाता है उस पर थाने से या अन्य अधीनस्थ अधिकारी से एस.डी.एम. द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। यदि इस बात की पुष्टि होती है कि अचल सम्पत्ति का आदेश पारित करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस भेजते हैं कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित रूप में अचल सम्पत्ति के कब्जे के बारे में अपना कथन प्रस्तुत करें। जब पक्षकरों पर नोटिस की तामील हो जाती है और वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कथन प्रस्तुत करते हैं तो न्यायालय दोनों पक्षों का साक्ष्य लेने के बाद यह मत व्यक्त करती है कि अचल सम्पत्ति पर झगड़े की तिथि तथा उससे दो माह पहले से किस पक्षकार का कब्जा था और इस तरह कब्जे के झगड़े पर जो शांति भंग होने की सम्भावना थी उसका समाधान किया जाता है। इसका यह लाभ होता है कि जब तक पक्षकार सिविल ल न्यायालय में कोई अन्य आदेश अपनी मिलकियत सम्बधी प्राप्त नहीं कर लेते धारा 145 के अन्तर्गत पारित कब्जे सम्बन्धी आदेश बरकरार रहता है और उस अचल सम्पत्ति के कब्जे के सम्बन्ध में झगड़े की समस्या का समाधान तुरन्त इस धारा 145 की कार्यवाही के अन्तर्गत किया जा सकता है।

अत: किसी भी झगड़े का अपराध का रूप धारण करने से पहले ही उन झगड़ों का निवारण उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत एस.डी.एम. को प्रार्थना देकर किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस धाराओं से परिचित होकर अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए जिससे कि चिनगारी भीषण आग का रूप धारण न कर पाये।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -